Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – **cgrfalmora@gmail.com**

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 189/2024

श्री पूरन सिंह लटवाल
लेधिया, अल्मोडा

परिवादी

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके परिसर में लगे संयोजन संख्या एआर 6316406529 के सापेक्ष अप्रैल से अब तक 80000 रू. का बिल आया है जो कि बहुत अधिक है और जिसको विभाग द्वारा बार बार कहने के बावजूद ठीक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बिल को ठीक करने के लिये निवेदन किय है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 636 दिनांक 28.08.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 10.09.2024 को वादी की तरफ से श्रीमती कमला लटवाल तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि वादी का विद्युत भार दिनांक 13.04.2024 को व्यावसायिक श्रेणी में 2 किलोवाट से 9 किलोवाट बढ़ाया गया था। लोड बढ़ाते समय उतारे गए पुराने मीटर की रीडिंग 24846 यूनिट थी जिसके सापेक्ष 21545 रीडिंग तक का बिल विगत रीडिंग साइकिल में जमा कराया गया था अतः पुराने मीटर की शेष रीडिंग 24846–21545= 3301 यूनिट का बिल लंबित रहा। उन्होंने बताया कि नए मीटर की रीडिंग 8060 यूनिट रिकॉर्ड की गई थी और वर्तमान रीडिंग 1864 का उपभोग और हुआ है। अतः उपरोक्त लंबित विद्युत उपभोग की यूनिट्स के सापेक्ष कुल बिल रूपए 96690 का बना है जो सही है और देय है। वादी ने कहा कि वह अगले दो तीन महीने अपना विद्युत उपभोग देखकर चैक मीटर लगाने का निर्णय लेंगे। विभाग ने बताया कि वादी का स्वीकृत भार 9 किलोवाट है जबकि वर्तमान में वादी का अधिकतम भार लगभग 15 किलोवाट रिकॉर्ड हो रहा है। वादी का कहा जाता है कि वह अपने विद्युत भार को स्वीकृत भार के अंदर सीमित करने का प्रयास करें।

आदेश

विभाग द्वारा वादी को रीडिंग आधारित बिल रू.96690 दिया गया है जो कि सही है और देय है। वादी को कहा जाता है कि वह 15 दिन के अंदर उपरोक्त बिल जमा करें। वादी को यह भी कहा जाता है कि वह अपना विद्युत भार स्वीकृत भार की सीमा के अंतर्गत नियंत्रित करने का प्रयास करें।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 10.09.2024

पुष्कर सिंह रावत	**ओ0पी0 दीक्षित**	**चामू सिंह गर्स्याल**
सदस्य उपभोक्ता	**सदस्य तकनीकी**	**सदस्य न्यायिक**

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
कैम्प कार्यालय–पिथौरागढ़
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – **cgrfalmora@gmail.com**

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 54/2024–25

श्रीमती बबीता देवी
ग्राम सिल, पो0चामू
जिला पिथौरागढ़

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़

विपक्षी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके परिसर में लगा संयोजन संख्या पीटी 24246149723 श्रीमती आनंदी देवी के नाम पंजीकृत था जिनकी 6 साल पहले मृत्यू हो चुकी है। उन्होंने उपरोक्त संयोजन का नाम बदलने के लिये निवेदन किया है।
   प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 636 दिनांक 11.07.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथियां दिनांक 01.08.2024, 24.08.2024 तथा आज दिनांक 13.09.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी को उनके द्वारा दिये गए फोन नंबर 7253952365 पर संपर्क करने की कोशिश की गई परंतु वादी ने फोन नहीं उठाया।
   विभाग की तरफ से उपस्थित सुश्री दीक्षा पाण्डे उपखंड अधिकारी ने बताया कि यह प्रकरण नाम परिवर्तन से संबंधित है जिसके लिये वादी को निर्धारित प्रपत्रों को भरकर विभाग के कार्यालय में जमा करना है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त संयोजन के सापेक्ष नवंबर 2021 से अगस्त 2024 तक की अवधि का विद्युत बिल रू.5367 लंबित है। उन्होंने यह भी बताया कि वादी को उनके कार्यालय के पत्रांक 1832 दिनांक 18.072024 के माध्यम से लंबित बिल रू.5367 जमा करने के लिये तथा पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्रों को भरकर जमा करने के लिये निवेदन किया गया था जिस पर वादी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि नाम परिवर्तन के लिये वादी द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा नहीं किये गए हैं। वादी के द्वारा नाम परिवर्तन से पहले लंबित बिल रू.5367 भी जमा करना है। वादी को कहा जता है कि वह 15 दिन के अंदर लंबित बिल जमा करे और तत्पश्चात निर्धारित प्रपत्रों को भरकर संबंधित कार्यालय में जमा कर नाम परिवर्तन कराना सुनिचित करें।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकत है। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 13.09.2024

पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता

ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक